राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,
बी.टी.आई.परिसर, शंकर नगर, रायपुर

Phone No. 0771-2443596 Fax-2443496)

Website:www.scert.cg.gov.in Email:scertcg@gmail.com

क्रमांक/स्टोर/फर्नीचर मरम्मत/निविदा/2015-16/5745/ दिनांक 14-10-2015

निविदा आवेदन–पत्र

"विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की मरम्मत एवं Visitor Chair के Upholstery को बदलने हेतु"

2015–16

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– 05.11.2015 अपरान्ह 03:00 बजे

निविदा खोलने की तिथि एवं समय– 05.11.2015 अपरान्ह 04:00 बजे

स्थान – राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का सभाकक्ष

कुल पृष्ठ संख्या : 15

// निविदा आवेदन पत्र //

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़,

बी.टी.आई.परिसर, शंकर नगर, रायपुर

"विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की मरम्मत, एवं Visitor Chair के Upholstery को बदलने हेतु निविदा आवेदन-पत्र "

क्र./निविदा आवेदन पत्र/2015 - 16/5745 रायपुर, दिनांक 14.10.2015

1. फर्नीचर मरम्मत से संबंधित विभिन्न कार्यों जिसका विवरण इस निविदा आवेदन-पत्र के भाग-2 में है, को कराने के लिए सील बंद लिफाफा में निविदा आमंत्रित की जा रही है। कृपया सील बंद लिफाफा के ऊपर निविदा आवेदन-पत्र का टाईटल, निविदा आवेदन-पत्र क्रमांक एवं दिनांक तथा निविदा खोलने की तिथि का उल्लेख करें ताकि निविदा आवेदन-पत्र अयोग्य घोषित न हो पाये।
2. निविदा आवेदन-पत्र जमा करने या इसके संबंध में किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए विवरण निम्नानुसार है -
   a) निविदा आवेदन पत्र/प्रश्न संबोधित करना है - स्टोर प्रभारी

   b) डाक व्यवहार का पता - एस.सी.ई.आर.टी., छत्तीसगढ़, बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर

   c) संपर्क अधिकारी का नाम एवं पद - श्री सच्चिदानंद शास्त्री, व्याख्याता

   d) संपर्क अधिकारी का मोबाईल नं. - 7587499918

   e) ई-मेल पता- scertcg@gmail.com

   f) फैक्स नं.- 0771-2443496
3. इस निविदा आवेदन पत्र के निम्नानुसार 5 भाग हैं -

   भाग 1 - सामान्य जानकारी।

   भाग 2 - आवश्यक सामग्री/सेवाओं का विवरण।

   भाग 3 - Standard and Special Conditions.

   भाग 4 - पेनाल्टी एवं भुगतान

   भाग 5 - मूल्यांकन का मानदण्ड एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र।
4. यह निविदा आवेदन पत्र बिना किसी वित्तीय वचनबद्धता के जारी किया जा रहा है और क्रेता के पास किसी समय निविदा आवेदन पत्र के किसी भी भाग में परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित है। क्रेता के पास, यदि किसी समय ऐसा करना आवश्यक हो, निविदा आवेदन पत्र वापस लेने का अधिकार भी सुरक्षित है।

भाग 1 – सामान्य जानकारी

1. **निविदा आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :**

05.11.2015, को अपरान्ह 03.00 बजे

निविदा दो लिफाफा 'अ' एवं 'ब' में सील बंद जमा करना होगा।

लिफाफा 'अ' में **Annexure-I** के अनुसार निर्धारित प्रारूप में तकनीकी निविदा, **Annexure-IV** के अनुसार Model FCS Mandate Format, सुरक्षा निधि (कंडिका 11 में बताए अनुसार) तथा इस आवेदन पत्र के भाग-2, कंडिका 2 के अनुसार वांछित जानकारी रखी जावे। लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों (Bold letters) में तकनीकी लिफाफा – 'अ' लिखा जाए।

लिफाफा– 'ब' में **Annexure-II** के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वित्तीय निविदा रखा जावे। इस लिफाफे के ऊपर बड़े अक्षरों (Bold Letters) में **वित्तीय लिफाफा– 'ब'** लिखा जावे।

2. **निविदा आवेदन पत्र जमा करने की विधि :**

सीलबंद निविदा आवेदन पत्र या तो इस हेतु संधारित निविदा बॉक्स में डाला जायेगा या पंजीकृत डाक से उपर्युक्त पते पर इस प्रकार से भेजा जायेगा कि निर्धारित तिथि एवं समय तक प्राप्त हो जाये। विलंब से प्राप्त निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। डाक में हुए विलंब, समय से डिलिवरी न होने या इस संबंध में किसी भी असुविधा के लिए परिषद् द्वारा जिम्मेदारी नहीं ली जावेगी। फैक्स या ई–मेल से भेजे गये निविदा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

3. **निविदा आवेदन पत्र खोलने का समय एवं तिथि :**

दिनांक 05.11.2015, अपरान्ह 04:00 बजे

अपरिहार्य कारणों से निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा आवेदन पत्र नहीं खोले जाने की स्थिति में यह उस निर्धारित समय पर आगामी कार्यालयीन दिवस में या क्रेता द्वारा दी गई सूचना के अनुसार खोला जायेगा। निविदा खोलने के समय सभी निविदाकार या उनके अधिकृत प्रतिनिधि इस आवेदन पत्र के भाग दो में वर्णित कार्यो उपयोग की जाने वाली सामग्री के सैंपल के साथ आवश्यक रूप से उपस्थिति रहें।

4. **निविदा बॉक्स का स्थान :**

राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ, बी.टी.आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर

गलत निविदा बॉक्स में डाले गए निविदा आवेदन पत्र को अयोग्य मान्य किया जायेगा।

5. निविदा बॉक्स खोलने का स्थान :

सभाकक्ष, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ, बी.टी. आई. परिसर, शंकर नगर, रायपुर

निविदादाता चाहे तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि को लिखित में अधिकृत कर सकता है जो निर्धारित तिथि एवं समय पर निविदा आवेदन पत्र खोलते समय सभाकक्ष में सामग्रियों के सैंपल के साथ उपस्थित रह सकता है। उक्त सैपल की गुणवत्ता परिषद् के फर्नीचर में लगे सामग्रियों की गुणवत्ता के समान या बेहतर होना चाहिए। निविदाता या उनके प्रतिनिधि के सैंपल के साथ उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनका तकनीकी निविदा नहीं खोला जायेगा। निविदादाताओं द्वारा भरे गये दर एवं महत्वपूर्ण वाणिज्यिक/तकनीकी कंडिकायें उपस्थित निविदादाताओं के प्रतिनिधियों के समक्ष पढ़कर सुनाया जायेगा। किन्तु यह कार्य आपके प्रतिनिधियों की उपस्थिति न होने पर टाला नहीं जायेगा।

6. दो निविदा प्रणाली :

ऊपर वर्णित आवेदन पत्र खोलने के समय एवं तिथि पर केवल लिफाफा 'अ' (तकनीकी निविदा) ही खोला जायेगा। तकनीकी निविदा स्वीकृत होने के बाद क्रेता द्वारा लिफाफा 'ब' (वित्तीय निविदा) खोलने की तिथि एवं समय के संबंध में सूचना दी जायेगी। केवल उन्हीं निविदादाताओं की वित्तीय निविदा खोली जायेगी जिनकी तकनीकी निविदा एवं सैंपल क्रेता के तकनीकी परीक्षण के दौरान उपयुक्त पायी गयी है। कृपया टीप करें कि सफल निविदाकार उसके द्वारा दर्शाये गये सैंपल के अनुसार ही सामग्री का उपयोग भी कार्यों में करेगा तथा इस हेतु तकनीकी निविदा खोलने के समय उसके द्वारा लाया गया सैंपल उसे परिषद् में जमा करना होगा।

7. निविदा आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण :

निविदा आवेदन पत्र के किसी भी भाग के संबंध में शंका होने की स्थिति में निविदादाता निविदा आवेदन पत्र खोले जाने की तिथि से 7 दिन पूर्व तक लिखित में जानकारी प्राप्त कर सकता है।

8. जमा किये गये निविदा आवेदन पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण :

निविदा आवेदन पत्र के मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार की शंका की स्थिति में क्रेता चाहे तो संबंधित निविदाकार से लिखित में स्पष्टीकरण प्राप्त कर सकता है। किन्तु ऐसी स्थिति में निविदा की दरों या अन्य किसी Substance में कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं होगा।

9. **निविदा आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना :**

निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा जमा करने या अपने निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु पक्ष प्रचार (Canvassing) करने या उसमें निविदा उपरान्त सुधार किये जाने के संबंध में अकारण (Unsolicited) पत्र भेजने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात करते हुए निविदा आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा।

10. **निविदा दरों की वैधता :**

निविदा आवेदन पत्र में भरी गई दरें निविदा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 6 माह के लिए वैध होगी।

11. **सुरक्षा निधि (EMD)** : प्रत्येक निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में लिफाफा 'अ' में **रू. 3,000/– (अक्षरी तीन हजार रू. मात्र)** का किसी भी सार्वजनिक बैंक या अनुसूचित बैंक (जैसे ICICI Bank, HDFC Bank एवं Axis Bank) का Account Payee Demand Draft, Banker's Cheque संचालक,एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर के नाम जमा करना होगा। उक्त की वैधता निविदा दरों की वैधता से 45 दिन अधिक (अर्थात साढ़े सात माह) की होगी। असफल निविदादाताओं के द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि निविदा की वैधता समाप्त होने के बाद या इस संबंध में सफल निविदादाता को कार्यदेश जारी करने के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, वापस की जाएगी जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा निधि अनुबध के समय उनसे परफामेस गारंटी (Performance Guarantee) प्राप्त होने के बाद वापस की जाएगी । निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता अवधि में अपने निविदा को वापस लेने या सुधार करने या उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने पर या सफल निविदादाता के निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करने की स्थिति में यह सुरक्षा निधि की राशि स्वयंमेव जब्त हो जाएगी एवं संबंधित फर्म को पृथक से काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

12. निविदा स्वीकृत होने पर इसकी सूचना लिखित में सफल निविदाकार को दी जाएगी और उसे कार्यदिश जारी किया जायेगा। इस हेतु अधिकतम पांच दिवस का समय दिया जाएगा। किन्तु निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से ही सफल निविदाकार द्वारा कार्य आरंभ कर दिया जायेगा।

13. निविदा आवेदन पत्र के भाग 2 में दर्शायी गयी फर्नीचरों में किये जाने वाले कार्यो की संख्या एवं प्रत्येक फर्नीचर की दर्शायी गयी संख्या अनुमानित है। निविदाकार से अनुरोध है कि वह कार्यालयीन समय में एस.सी.ई.आर.टी. जाकर इनका अवलोकन कर लें।

14. संबंधित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवादों के निराकरण हेतु मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत सचिव, स्कूल शिक्षा सोल आर्बीट्रिटर होंगे एवं उनके द्वारा लिए गए

9. निविदा आवेदन पत्र का अस्वीकार किया जाना :

निविदादाता द्वारा सशर्त निविदा जमा करने या अपने निविदा को स्वीकार किये जाने हेतु पक्ष प्रचार (Canvassing) करने या उसमें निविदा उपरान्त सुधार किये जाने के संबंध में अकारण (Unsolicited) पत्र भेजने पर सुरक्षा निधि की राशि राजसात करते हुए निविदा आवेदन पत्र को अस्वीकृत किया जा सकेगा।

10. निविदा दरों की वैधता :

निविदा आवेदन पत्र में भरी गई दरें निविदा आवेदन पत्र जमा करने की तिथि से 6 माह के लिए वैध होगी।

11. **सुरक्षा निधि (EMD)** : प्रत्येक निविदादाता को सुरक्षा निधि के रूप में लिफाफा 'अ' में **रू. 3,000/- (अक्षरी तीन हजार रू. मात्र)** का किसी भी सार्वजनिक बैंक या अनुसूचित बैंक (जैसे ICICI Bank, HDFC Bank एवं Axis Bank) का Account Payee Demand Draft, Banker's Cheque संचालक,एस.सी.ई.आर.टी.रायपुर के नाम जमा करना होगा। उक्त की वैधता निविदा दरों की वैधता से 45 दिन अधिक (अर्थात साढ़े सात माह) की होगी। असफल निविदादाताओं के द्वारा जमा की गई सुरक्षा निधि निविदा की वैधता समाप्त होने के बाद या इस संबंध में सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के 30 दिनों के भीतर, जो भी पहले हो, वापस की जाएगी जबकि सफल निविदादाता द्वारा जमा कराई गई सुरक्षा निधि अनुबध के समय उनसे परफामेस गारंटी (Performance Guarantee) प्राप्त होने के बाद वापस की जाएगी । निविदादाता द्वारा निविदा की वैधता अवधि में अपने निविदा को वापस लेने या सुधार करने या उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने पर या सफल निविदादाता के निर्धारित तिथि तक अनुबंध नहीं करने की स्थिति में यह सुरक्षा निधि की राशि स्वयंमेव जब्त हो जाएगी एवं संबंधित फर्म को पृथक से काली सूची में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी।

12. निविदा स्वीकृत होने पर इसकी सूचना लिखित में सफल निविदाकार को दी जाएगी और उसे कार्यादेश जारी किया जायेगा। इस हेतु अधिकतम पांच दिवस का समय दिया जाएगा। किन्तु निविदा स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने की तिथि से ही सफल निविदाकार द्वारा कार्य आरंभ कर दिया जायेगा।

13. निविदा आवेदन पत्र के भाग 2 में दर्शायी गयी फर्नीचरों में किये जाने वाले कार्यों की संख्या एवं प्रत्येक फर्नीचर की दर्शायी गयी संख्या अनुमानित है। निविदाकार से अनुरोध है कि वह कार्यालयीन समय में एस.सी.ई.आर.टी. जाकर इनका अवलोकन कर लें।

14. संबंधित कार्य एवं निविदा के परिप्रेक्ष्य में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवादों के निराकरण हेतु मध्यस्थता तथा सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत सचिव, स्कूल शिक्षा सोल आर्बीट्रेटर होंगे एवं उनके द्वारा लिए गए

निर्णय दोनों पक्षों को मानने हेतु बंधनकारी होंगे। इस अनुबंध से उद्भूत होने वाले समस्त विवाद छत्तीसगढ़ न्यायालयों की क्षेत्राधिकारिता के अध्याधीन होंगे।

15. फर्नीचरों के सुधार कार्य की गुणवत्ता उत्तम होनी चाहिए। निविदाकार सुधार कार्य इस प्रकार करेगा कि फर्नीचर नया जैसा हो जाए। इसका संपूर्ण दायित्व निविदाकार का होगा। वह यह सुनिश्चित करेगा कि एक भी सामग्री या स्पेयर पार्ट जो निर्धारित गुणवत्ता का न हो, उसका उपयोग वह न करे और वह केवल तकनीकी निविदा खोलते समय दर्शाये गये सैंपल के अनुसार मानक सामग्री का प्रयोग करे। इन सामग्रियों के उपयोग के पूर्व वह क्रेता द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी/संस्था द्वारा इसका अनुमोदन प्राप्त करेगा। इसमें किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर निविदाकार का भुगतान नही किया जायेगा।

16. सभी कार्य परिषद् के परिसर में ही संपन्न किये जाने है। जिन कार्यों को परिषद् परिसर में नहीं किया जा सकता हो, उसे क्रेता की लिखित अनुमति से बाहर ले जाकर किया जा सकता है। किंतु इस हेतु पृथक से कोई भुगतान नही किया जावेगा।

17. कार्य के संबंध में निविदाकार के वर्कशॉप का स्थल निरीक्षण हेतु क्रेता या उनके द्वारा अधिकृत निरीक्षणकर्ता अधिकारी/अधिकारियों को अधिकार होगा। निविदाकार निरीक्षणकर्त्ता अधिकारियों को निरीक्षण कराने एवं उनकी प्रेक्षा के अनुसार आवश्यक जानकारी निरीक्षणकर्त्ता अधिकारी के पूर्ण संतुष्टी तक उपलब्ध करायेगा।

भाग 2 – आवश्यक सामग्री/सेवाओं का विवरण

1. आवश्यकताओं की अनुसूची –

a) सेवाओं की सूची निम्नानुसार है –

स. क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या (नग)	दर प्रतिनग	
			शब्दों में	अंकों में
1	बड़ी इक्जीक्यूटिव चेयर का कव्हर बदलना	38 नग		
2	छोटी एवं बड़ी इक्जीक्यूटिव चेयर का व्हील बदलना	125 नग		
3	सिम्पल चेयर का पीछे एवं नीचे का क्लाथ बदलना	100 नग		
4	छोटी इक्जीक्यूटिव चेयर का कव्हर बदलना	10 नग		
5	छोटी चेयर का नॉयलान बेस व्हील सहित	06 नग		
6	चेयर हेतु नया हाइड्रोलिक	10 नग		
7	छोटी इक्जीक्यूटिव चेयर का हेन्डल सेट बदलना	06 नग		
8	चेयर का प्लाई बदलना 18 इंच से 12इंच	15 नग		
9	फ्रेम वेल्डिंग	03 नग		
10	टिल्टींग प्लेट नया	08 नग		

b) निविदा स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होते ही उसी तिथि में सफल निविदादाता को कार्य आरंभ करना होगा और पाँच दिवस के भीतर प्रत्येक प्रकार का एक कार्य पूर्ण कर सैंपल के रूप में अनुमोदन हेतु परिषद् में प्रस्तुत करना होगा। अनुमोदित सैंपल के अनुसार शेष कार्य पूर्ण करना होगा।

c) कार्य समाप्ति उपरांत सफल निविदादाता बेकार स्टोर सामग्री केता को मूलतः निःशुल्क वापस करनी होगी।

d) नियत समय पर कार्य अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा तथा कार्य की प्रगति के बारे में समय-समय पर संचालक, एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर को अवगत कराना होगा।

2. <u>तकनीकी विवरण</u> :-

तकनीकी प्रस्ताव के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाए -

1. फर्नीचर कार्य से संबंधित कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
2. फर्नीचर कार्य में विगत वर्ष का, सलाना टर्न-ओव्हर एवं आयकर रिर्टन (स्वसत्यापित)।
3. वैध बिक्रीकर भुगतान प्रमाण-पत्र (अंतिम तिमाही का) एवं बिक्रीकर पंजीयन संबंधित अद्यतन प्रमाण-पत्र।
4. फर्नीचर कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जीवित वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति।

3. **उक्त कार्य पूर्ण करने की अवधि :-**

इसके लिए 30 दिनों का समय दिया जायेगा। इस हेतु अवधि की गणना सैंपल अनुमोदन करने की तिथि से किया जायेगा।

4. **क्रेता का नाम :-**

संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ,शंकरनगर,रायपुर

<u>Part III – Standard and Special Conditions</u>

The Bidder is required to give confirmation of their acceptance of these conditions of the Tender Application Form mentioned below which will automatically be considered as part of the work order/Contract concluded with the successful Bidder (i.e. Seller in the Contract) as selected by the Buyer. Failure to do so may result in rejection of the Bid submitted by the Bidder.

1. **Law**: The Contract shall be considered and made in accordance with the laws of the Republic of India. The contract shall be governed by and interpreted in accordance with the laws of the Republic of India.
2. **Effective Date of the work order/Contract**: Normally the work order/contract shall come into effect on the date of signatures of both the parties on the contract except when some other effective date is mutually agreed to and specifically indicated / provided in the contract. The deliveries and supplies and performance of the services shall commence from the effective date of the contract.
3. **Arbitration**: All disputes or differences arising out of issue of or in connection with the work order/Contract shall be settled by bilateral discussions. Work order/Any dispute, disagreement or question arising out of or relating to the Contract or relating to construction or performance, which cannot be settled amicably, may be resolved through arbitration. Please also refer to para 14 of Part-I of the tender application form in this regard.
4. **Access to Books of Accounts**: In case it is found to the satisfaction of the Buyer that the Seller has engaged an Agent or paid commission or influenced any person to obtain the contract as described in clauses relating to Agents/Agency Commission and penalty for use of undue influence, the Seller, on a specific request of the Buyer, shall provide necessary information/ inspection of the relevant financial documents/information.
5. **Liquidated Damages**: In the event of the Seller's failure to submit the Bonds, Guarantees and Documents, furniture work etc as specified in this contract, the Buyer may, at his discretion, withhold any payment until the completion of the contract. The BUYER may also deduct from the SELLER as agreed, liquidated damages as elaborated in para 1, Part IV of the tender application form.
6. **Notices**: Any notice required or permitted by the contract shall be written in the Hindi/English language and may be delivered personally or may be sent by FAX or registered pre-paid mail/email, addressed to the last known address of the party to whom it is sent.

9. **Transfer and Sub-letting**: The Seller has no right to give, bargain, sell, assign or sublet or otherwise dispose of the work order/Contract or any part thereof, as well as to give or to let a third party take benefit or advantage of the present work order/Contract or any part thereof.

7. **Amendments**: No provision of present work order/Contract shall be changed or modified in any way (including this provision) either in whole or in part except by an instrument in writing made after the date of this work order/Contract and signed on behalf of both the parties and which expressly states to amend the present work order/Contract.
8. **Performance Guarantee**: The Bidder will be required to furnish a Performance Guarantee by way of Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt, Banker's Cheque through a public sector bank or a

private sector bank authorized to conduct government business (ICICI Bank Ltd., Axis Bank Ltd or HDFC Bank Ltd.) for a sum equal to 10% of the work order/contract value within 5 days of receipt of the confirmed order. Performance Bank Guarantee should be valid up to 12 months beyond the date of confirmed order. The specimen of PBG is given in Annexure III.

9. **Tolerance Clause:** To take care of any change in the requirement during the period starting from issue of Tender Application Form till placement of the work order/contract, Buyer reserves the right to 10% plus/minus increase or decrease the quantity of the required goods upto that limit without any change in the terms & conditions and prices quoted by the Seller. While awarding the work order/ contract, the quantity ordered can be increased or decreased by the Buyer within this tolerance limit.
10. **Payment Terms:** It will be mandatory for the Bidders to indicate their bank account numbers and other relevant epayment details so that payments could be made through ECS/EFT mechanism instead of payment through cheques, wherever feasible. A copy of the model mandate form prescribed by RBI to be submitted by Bidders for receiving payments through ECS is at **Annexure IV**. The payment will be made as explained in Part IV of the Tender Application Form.

भाग 4 – पेनाल्टी एवं भुगतान

इस निविदा आवेदन पत्र में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर निम्नानुसार पेनाल्टी अधिरोपित किया जावेगा जिसकी पूर्ति सफल निविदाकार के देयक या उनके द्वारा जमा Performance Guarantee या लंबित भुगतान या दोनों से किया जा सकेगा।

1. कार्य में विलंब होने पर शेष कार्य के मूल्य का 0.5 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से विलंब की पेनाल्टी लगाई जाएगी जो कि अधिकतम 05 दिवस विलंब के लिए होगी। इसके पश्चात् यह पेनाल्टी 1.0 प्रतिशत प्रतिदिन हो जावेगी जो कि अतिरिक्त 10 दिवस विलंब तक ही मान्य होगी। किंतु कार्य पर पेनाल्टी की सीमा शेष कार्यों के 12.5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
2. त्रुटि पाए जाने पर तथा यह स्पष्ट होने पर कि उक्त त्रुटियाँ निविदाकार से हुई है, निविदाकार को वापस इसे दुबारा करना होगा।
3. इन कार्यो हेतु निर्धारित मानकों की सामग्री का ही उपयोग किया जाना है। यदि प्रयुक्त सामग्री के मानकों में कमी पाई जाती है तो उसे बदलना होगा।

भुगतान :-

1. किए गए कार्यों की गुणवत्ता संबंधी कोई शिकायत न पाए जाने पर तथा समय से कार्य पूर्ण होते ही कुल देयक की राशि का भुगतान कर दिया जावेगा।
2. सफल निविदाकार के परफार्मेंस गारंटी की वापसी कार्य संपन्न करने की तिथि के एक वर्ष बाद की जावेगी। किन्तु इस अवधि में निविदाकार द्वारा संपन्न कार्यो में कोई कमी पायी जाती है जिसके लिए क्रेता जिम्मेवार नहीं है, तो इस अवधि में उक्त कार्यों को निविदाकार को निःशुल्क करना होगा। किन्तु यह भी कि संपन्न कार्यों में कमी पाये जाने पर परफार्मेंस गारंटी वापस करने की अवधि में स्वयंमेव वृद्धि हो जायेगी।

भाग 5 – मूल्यांकन का मानदण्ड एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र

1. मूल्यांकन का मानदण्ड –

निविदाओं के मूल्यांकन के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नानुसार है –

a) केवल उसी निविदा का मूल्यांकन किया जायेगा जो निविदा आवेदन पत्र के अनुसार तकनीकी एवं वित्तीय दोनो अर्हताएं एवं आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

b) निविदाकार द्वारा जमा की गयी तकनीकी निविदा का मूल्यांकन निविदा आवेदन पत्र में वर्णित तकनीकी आवश्यकता के संदर्भ में किया जायेगा। तकनीकी निविदा से यह स्पष्ट होने पर कि निविदादाता निविदा आवेदन पत्र में वर्णित आवश्यकता की पूर्ति करने सक्षम है, ऐसे निविदादाताओं का वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

c) निविदाकार द्वारा प्रपत्र **Annexure-II** में भरी गई दरों के आधार पर न्यूनतम निविदा के संबंध में निर्णय लिया जायेगा। न्यूनतम दरों की गणना करते समय यह माना जायेगा की निविदादाता द्वारा समस्त करों, उपकरों एवं ड्यूटी को जोड़कर अपनी दरे दी गई है। क्रेता द्वारा कुल भुगतान की जाने वाली राशि के आधार पर प्राप्त वित्तीय निविदाओं की क्रम सूची बनाई जायेगी।

d) जहाँ भी इकाई दर से कुल दरों की गणना में भिन्नता पायी जायेगी, इकाई दर में कुल संख्या से गुणा कर कुल दरों में सुधार किया जायेगा। यदि निविदादाता द्वारा शब्दों एवं अंकों मे दी गई जानकारियों में भिन्नता है तो शब्दों में दी गई जानकारी को मान्य किया जायेगा।

Annexure-I

क्र. / निविदा आवेदन पत्र / 2015 -16/5745/ रायपुर, दिनांक 14..... 10.2015

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर

"विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की मरम्मत एवं Visitor Chair के Upholstery को बदलने हेतु"

(तकनीकी लिफाफा 'अ' में जमा करें)

1. निविदाकार का नाम एवं फर्म की रबर सील..
2. पूर्ण पता..
....
3. दूरभाष क्रमांक ....
4. मोबाइल नंबर ....
5. फैक्स क्रमांक..
6. ई. मेल..
7. वाणिज्य कर (TIN) टिन नंबर ....
8. राष्ट्रीयकृत बैंक ड्राफ्ट क्र. दिनांक / राशि..
9. निविदाकार के फर्म के स्वामी / साझेदार / संचालक का विवरण :-

क्र.	नाम	पिता / पति का नाम	पता	विवरण (स्वामी / साझेदार / संचालक)

घोषणा-पत्र

मैं / हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं कि संचालक एस.सी.ई.आर.टी., रायपुर द्वारा "विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की मरम्मत एवं Visitor Chair के Upholstery को बदलने हेतु" जारी की गई निविदा क्र. / निविदा आवेदन पत्र / 2015 .... रायपुर, दिनांक 12.10.2015 के नियम एवं शर्तो का मैंने ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया है तथा मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ / करते हैं।

1. मैं / हम यह घोषणा करता हूँ / करते हैं, कि मेरी फर्म को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार या उनके विभागों या अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा किसी भी कार्य के संबंध में काली सूचीबद्ध या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।
2. मैं / हम यह भी प्रमाणित करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम निविदा फर्म की ओर से यह घोषणा पत्र हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ / है।

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम..

फर्म की रबर ....

Annexure-II

क्र./निविदा आवेदन पत्र/2015-16/5745) रायपुर, दिनांक 14-10.2015

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, छ.ग., रायपुर
"विभिन्न प्रकार के फर्नीचर की मरम्मत एवं Visitor Chair के Upholstery को बदलने हेतु"
वित्तीय निविदा
(लिफाफा 'ब' में जमा करें)

1- कृपया सभी दरें अंकों एवं शब्दों में भरें –

स. क्र.	सामग्री का नाम	अनुमानित संख्या (नग)	दर प्रतिनग	
			शब्दों में	अंकों में
1	बड़ी इक्जीक्यूटिव चेयर का कव्हर बदलना	38 नग		
2	छोटी एवं बड़ी इक्जीक्यूटिव चेयर का व्हील बदलना	125 नग		
3	सिम्पल चेयर का पीछे एवं नीचे का क्लाथ बदलना	100 नग		
4	छोटी इक्जीक्यूटिव चेयर का कव्हर बदलना	10 नग		
5	छोटी चेयर का नॉयलान बेस व्हील सहित	06 नग		
6	चेयर हेतु नया हाइड्रोलिक	10 नग		
7	छोटी इक्जीक्यूटिव चेयर का हेन्डल सेट बदलना	06 नग		
8	चेयर का प्लाई बदलना 18 इंच से 12इंच	15 नग		
9	फ्रेम वेल्डिंग	03 नग		
10	टिल्टींग प्लेट नया	08 नग		

निविदाकार के हस्ताक्षर

पूरा नाम...

फर्म की रबर ....

Annexure - III

Performance Bank Guarantee Format

From:

Bank ________________

To,

The Director,
SCERT, Chhattisgarh,
BTI Campus, Shankarnagar, Raipur

Dear Sir,

Whereas you have entered into a contract No.______ dated________ (hereinafter referred to as the said Contract) with M/s__________________________, hereinafter referred to as the "seller" for supply of goods as per Part-II of the said contract to the said seller and whereas the Seller has undertaken to produce a bank guarantee for *(10 %)* of total Contract value amounting to _________ to secure its obligations to Director SCERT, Chhattisgarh. We the ______________ bank hereby expressly, irrevocably and unreservedly undertake and guarantee as principal obligors on behalf of the seller that, in the event that the Director SCERT, Chhattisgarh declares to us that the goods have not been supplied according to the Contractual obligations under the aforementioned contract, we will pay you, on demand and without demur, all and any sum up to a maximum of ___________Rupees ____________ only. Your written demand shall be conclusive evidence to us that such repayment is due under the terms of the said contract. We undertake to effect payment upon receipt of such written demand.

2. We shall not be discharged or released from this undertaking and guarantee by any arrangements, variations made between you and the Seller, indulgence to the Seller by you, or by any alterations in the obligations of the Seller or by any forbearance whether as to payment, time performance or otherwise.
3. In no case shall the amount of this guarantee be increased.
4. This guarantee shall remain valid for twelve months from the date of issue of confirmed order to the Seller according to the contractual obligations under the said contract.
6. Unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing or on before the aforesaid expiry date as provided in the above referred contract or unless this guarantee is extended by us, all your rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be discharged from the liabilities hereunder.
7. This guarantee shall be a continuing guarantee and shall not be discharged by and change in the constitution of the Bank or in the constitution of M/s__________________________

Annexure -IV

Model ECS Mandate Format

Customer's option to receive payments through e-Payment (ECS/ EFT/ DIRECT / RTGS/ NEFT/ Other payment mechanism as approved by RBI.)

Credit Clearing Mechanism

1. Customer's name
2. Particulars of Bank Account –
   a) Bank name
   b) Branch name
   c) Address
   d) Telephone numbers
   e) IFS code
   f) 9 Digit code number of Bank and Branch appearing on MICR cheque issued by Bank
   g) Account Type (S.B. Account / Current Account or Cash)
   h) Ledger number
   i) Ledger Folio number
   j) Account number as appearing on Cheque Book
3. Please attach a blank cancelled cheque, or, photocopy of a cheque or front page of your savings bank passbook issued by your bank for verification of the above particulars.
4. Date of Effect

"I, hereby, declare that the particulars given above are correct and complete. If the transaction is delayed or not effected at all for reasons of incomplete or incorrect information, I would not hold the user institution responsible. I have read the option invitation letter and agree to discharge the responsibility expected of me as a participant under scheme."

(.................................)

Date:

Signature of Customer Certified that the particulars furnished above are correct as per our records.

Bank's Stamp:

(.................................)

Date:

Signature of the Authorized Official from the Bank